राजस्थान लोक सेवा आयोग

प्रेस–नोट

दिनांकः 03.11.2020

आयोग के विज्ञापन संख्या 03 / भर्ती / F.D.O & A.F.D.O.(मत्स्य विभाग) / EP-I / 2019–20 दिनांक 08.07.2019 के पद क्रम सं. 01 पर मत्स्य विकास अधिकारी, मत्स्य विभाग की भर्ती में कुल 06 पद (03UR, ,01SC, 01ST, 01BC) विज्ञापित किये गये थे। मत्स्य विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 17.03.2020 के अनुसार भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) का 01 पद आरक्षित करते हुए वर्गवार वर्गीकरण प्राप्त होने पर आयोग द्वारा उक्त पदों का नवीन शुद्धि पत्र संख्या 01 / 2020–21 दिनांक 14.05.2020 को जारी किया गया है।

अतः उक्त भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) का 01 पद आरक्षित किये जाने के फलस्वरूप उक्त भर्ती के अन्तर्गत **संवीक्षा परीक्षा में सफल सभी सामान्य (GE) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्ग परिवर्तन E.W.S. करने बाबत् ऑनलाईन संशोधन का विकल्प दिनांक 09.11.2020 से 11.11.2020 (रात्रि 12:00 बजे तक)** खोला जा रहा है।

उक्त ऑनलाईन संशोधन के अवसर के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाना है–

1. यह सुविधा उक्त भर्ती में **केवल संवीक्षा परीक्षा में सफल सभी सामान्य (GE) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्ग परिवर्तन E.W.S. करने हेतु प्रदान की जा रही है।** उक्त अवसर अंतिम अवसर है इसके पश्चात कोई अवसर देय नहीं होगा।
2. संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस. ओ. (SSO) पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से login कर citizen Apps (G2C) में उपलब्ध recruitment portal को चयन कर 300 रूपये का शुल्क जमा कराते हुए ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं।
3. उक्त भर्ती में ऑफलाईन संशोधन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। अभ्यर्थी केवल ऑनलाईन संशोधन के विकल्प का ही उपयोग करें।
4. विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।
5. उपरोक्त संशोधनों के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई–मेल से अथवा फोन नं0 9352323625, 7340557555 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव